संख्या- 65 /2016 / 275 / चार-2016-27 (बजट)/14 टीसी

प्रेषक,

तुलसी राम
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊः दिनांक 18 मार्च, 2016**

विषयः- राज्य संग्रहालय, लखनऊ परिसर के पार्श्व भाग में खडे राजहंस वायुयान टी0यू0-124 के हैंगर आदि के कार्यो की वित्तीय स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र संख्या- 1181/उ0प्र0सं0नि-2(1-2)/5/2014-15, दिनांक 16 फरवरी, 2016 तथा शासनादेश संख्या-49/1192/चार-2015-27(बजट)/14टीसी दिनांक 30 मार्च , 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य संग्रहालय, लखनऊ परिसर के पार्श्व भाग में खडे राजहंस वायुयान टी0यू0-124 के हैंगर आदि के कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा उपलबध कराये गये आगणन धनराशि रू0 44.67 लाख का परीक्षण करते हुए प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 39.16 लाख के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 30 मार्च 2015 द्वारा धनराशि रू0 39.16 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। निदेशक संग्रहालय निदेशालय के पत्र दिनांक 08 मार्च 2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कार्य अभी नहीं हुआ है। उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास विकास परिषद ने पुनरीक्षित आगणन धनराशि रू0 55.58 लाख का परीक्षण करते हुए प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा धनराशि रू0 55.33 लाख मूल्यांकित की गयी। पुनरीक्षित मूल्यांकित धनराशि रू0 55.33 लाख में से पूर्व में शासनादेश दिनांक 30 मार्च 2015 द्वारा निर्गत धनराशि रू0 39.16 लाख को घटाकर प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि रू0 16.17 लाख (रूपये सोलह लाख सत्तरह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को उक्त निर्माण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा, जो संलग्न आगणन के अनुसार नियमानुसार प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित मात्राओं हेतु व्यय करेंगे।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

4- शासनादेश संख्या-49/1192/चार-2015-27(बजट)/14टीसी दिनांक 30 मार्च , 2015 में उल्लिखित अन्य प्रतिबन्ध /शर्ते आदि यथावत रहेगी।

5- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत आयोजनागत मद के लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-107-संग्रहालय-03-अधिष्ठान व्यय -42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी -2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(तुलसी राम)
विशेष सचिव।

संख्या - 65/2016 / 275 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
6- संयुक्त निदेशक, मध्य जोन, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
9- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
10 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।